(15)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक अपील-3817/पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 13.08.2013 पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 24/बी-103/2011-12/48(ख).

श्रीमती मंजीत कौर जग्गी पत्नी श्री हरपाल सिंह जग्गी
निवासी दशमेश कॉलोनी, सूरजगंज, इटारसी,
तहसील इटारसी, जिला होशंगाबाद .....अपीलार्थी

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन
2. मनकू मोटर गैरिज, प्रा. गुरूवचन सिंह मनकू
निवासी न्यास कॉलोनी, इटारसी, जिला होशंगाबाद .....प्रत्यर्थीगण

श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री राजीव शर्मा, अभिभाषक, प्रत्यर्थी क्र. 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/6/19 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह निगरानी भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 13.08.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रस्तुत प्रकरण महालेखागार ग्वालियर द्वारा उप पंजीयक इटारसी पर अभिलिखित निरीक्षण टीप वर्ष 2009-11 की कंडिका 3(ब) के पालन में उप पंजीयक इटारसी द्वारा दस्तावेज क्रमांक 1878 दिनांक 29.03.2011 की सत्यप्रतिलिपि न्याय निर्णय हेतु कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला होशंगाबाद को भेजी गई। प्रकरण क्र. 24/बी-103/11-12 मुद्रांक विधान की धारा 48(ख) में दर्ज किया गया। मार्गदर्शिका वर्ष 2010-11 में व्यावसायिक दुकान की दर प्रति वर्गमीटर उक्त क्षेत्र 11,500/- रूपये है। अत: कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा

दिनांक 14.08.2013 को प्रश्नाधीन दस्तावेज से अंतरित संपत्ति का बाजार मूल्य 2,28,500/- निर्धारित कर इस पर कमी मुद्रांक शुल्क 22,464/- रूपये एवं कमी पंजीयन शुल्क 1,873/- रूपये मुद्रांक विधान की धारा 40(ख) के अंतर्गत अर्थदण्ड 1163/- रूपये कुल राशि 25,500/- रूपये आवेदक को राजस्व शीर्ष 0030 में जमा करने के आदेश दिये गये। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) मुद्रांक अधिनियम के अनुसार संशोधन पत्र हेतु 100/- रूपये का मुद्रांक शुल्क निर्धारित किया गया है, जिस पर संशोधन पत्र दिनांक 29.03.2011 विलेखित एवं निष्पादित कर पंजीकृत कराया गया है तथा संशोधन पत्र दिनांक 29.03.2011 पूर्व के मूल विक्रय पत्र दिनांक 12.01.2010 का सुधार हेतु निष्पादित किया गया दस्तावेज है, जो सम्यक रूप से मुद्रांकित है।

(2) सम्यक रूप से विक्रय पत्र दिनांक 12.01.2010 में अंतरित सम्पत्ति का मुद्रांक शुल्क अदा किया जा चुका है तथा उन्हीं पक्षकारों के मध्य दिनांक 12.01.2010 के विक्रय पत्र का संशोधन दिनांक 29.03.2011 को किया गया है तथा यह संशोधन अंतरित सम्पत्ति के संबंध में किया गया है, पृथक से कोई संपत्ति का अंतरण नहीं किया गया है तथा संशोधन पत्र में वर्णित सम्पत्ति की विशिष्टियां, पूर्व में अंतरित सम्पत्ति एक ही है, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं है, जिसका उल्लेख संशोधन पत्र में किया गया है। संशोधन पत्र में केवल विक्रय पत्र, बैनामा, क्रेता, विक्रेता के स्थान पर आपसी तसबिया पत्र का संशोधन किया गया है, जो सम्यक रूप से मुद्रांकित है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का निराकरण करते हुए अपना निष्कर्ष केवल इस आधार पर निकाला है कि संशोधन पत्र में संशोधन के द्वरा विलेख का शीर्षक परिवर्तित किया गया है तथा उसे सारभूत परिवर्तन की श्रेणी में माना है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल विक्रय पत्र दिनांक 12.01.2010 एवं संशोधन पत्र दिनांक 29.03.2011 की अंतर्वस्तु का परिशीलन एवं अवलोकन नहीं किया गया है। दोनों दस्तावेजों की अंतर्वस्तु से स्पष्ट है कि विलेख के पक्षकार एक ही हैं एवं विलेखों की अंतरित संपत्ति भी एक ही है, केवल अशुद्धियों के संशोधन हेतु संशोधन पत्र निष्पादित किया गया है, जो सम्यक रूप से मुद्रांकित है तथा इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 13.08.2013 निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उनके द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलार्थी का उपरोक्त संशोधन पत्र दिनांक 29.03.2011, दस्तावेज क्र. 1877 को सम्यक रूप से मुद्रांकित मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ प्रत्यर्थी क्र. 1 के विद्वान शासकीय अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस अपील में नहीं है। अत: उनके द्वारा अपील निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश यथावत रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि दस्तावेज संशोधन पत्र जो कि मनकू मोटर गैरिज प्रो. गुरूवचन सिंह मनकू एवं मंजीत कौर पत्नी हरपाल सिंह जग्गी के मध्य 100/- रूपये के मुद्रा पत्र पर दिनांक 29.03.2011 को निष्पादित किया है, उक्त संशोधन पत्र को वह तसबिया पत्र में परिवर्तन किया गया है, जो कि सारभूत परिवर्तन होकर दस्तावेज के विधिक स्वरूप को परिवर्तित करता है एवं नये दस्तावेज का गठन करता है। उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नाधीन संशोधन विलेख सारभूत परिवर्तन की श्रेणी में आवेगा, जिस पर मुद्रांक विधान की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 22 के अनुसार संपत्ति के बाजार मूल्य पर मुद्रांक शुल्क निर्धारित करने में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। अत: कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा संपत्ति का बाजार मूल्य 2,28,500/- निर्धारित कर उस पर कमी मुद्रांक शुल्क 22,464/- रूपये एवं कमी पंजीयन शुल्क 1,873/- रूपये मुद्रांक विधान की धारा 40(ख) के अंतर्गत अर्थदण्ड 1163/- रूपये योग राशि 25,500/- रूपये अपीलार्थी को राजस्व शीर्ष में जमा कराने का आदेश पारित कर उचित एवं वैधानिक आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.08.2013 स्थिर रखा जाता है। अपील निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर